न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. लूणाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति-जाट, उम्र-63 वर्ष निवासी-नेरवा चारणान पटवार मण्डल सन्तोड़ा खुर्द तहसील-तिंवरी जिला-जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2017 मुकदमा संख्या 60/2017 अनवान सरकार बनाम लुणाराम पारित द्वारा तहसीलदार तिंवरी जिसमें अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया के विरूद्ध।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर दवे उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 13.07.2017

अपीलान्ट लुणाराम पुत्र श्री तेजराम, जाति जाट, उम्र-63 वर्ष, निवासी ग्राम नेरवा चारणान, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, तिंवरी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को प्रकरण संख्या 60/2017 बअनवान सरकार बनाम लूणाराम पुत्र तेजाराम में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी संतोड़ा खुर्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी लूणाराम के संवत 2076 में पटवार मण्डल संतोड़ाखुर्द के ग्राम नेवरा चारणान के खसरा नम्बर 166 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में कब्जा कर गेहूँ की फसल बोकर रकबा 1.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये एवं उक्त नोटिस को अपीलार्थी के पुत्र द्वारा उक्त नोटिस को प्राप्त होना बताकर अपीलार्थी की तामील को पर्याप्त मानते हुए एवं गैर सायल अपीलार्थी के नहीं आने पर उसी दिन आलौच्य आदेश तहसीलदार तिंवरी द्वारा पारित किया गया। तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपीलार्थी/गैरसायल बाद तामील उपस्थित नहीं आने कारण उनके द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर इनका कब्जा व काश्त साबित मानते हुए अतिक्रमी घोषित कर मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर नीलाम राशि व लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित कर अपीलार्थी को खसरा संख्या 166 गैर मुमकिन रास्ता अतिक्रमी भूमि 1.05 बीघा से बेदखल करने को आदेश पारित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व मनमाना तरीके तथा आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए पारित करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त स्थल व खसरे बाबत मौका रिपोर्ट न मंगवाने एवं अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामिल न करवाने तथा अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर दवे ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवार मण्डल संतोड़ा खुर्द के ग्राम नेरवा चारणन के खसरा नम्बर 166 में अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रथम सेटलमेन्ट के समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 166 कटाण के रूप में दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त कटाण का रास्ता कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा है जबकि रास्ता अपीलार्थी के खसरा नम्बर 153, 157, 163 व 174 की भूमि में पश्चिम दिशा में अपीलार्थी के खेत में माठ से चिपता हुआ है जो प्रथम सेटलमेन्ट से ही कटाण का मार्ग चल रहा है जो आज भी बदस्तूर जारी है। ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी द्वारा आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व ग्रेवल सड़क बनाई गई थी जो आज दिन तक आवागमन के उपयोग व उपभोग में आ रही है एवं तथाकथित कटाण का मार्ग जो केवल राजस्व रेकर्ड में अंकित है उसमें 50 फीट छोड़कर अपीलार्थी के खेत में से होकर जा रहा है। उक्त रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया है। इस रास्ते पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी संतोड़ाखुर्द व भू अभिलेख निरीक्षक जेलू गगाड़ी द्वारा खसरा नम्बर 166 किस्म गै.मु. रास्ते की 1.05 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा बताया है। उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए (दिनांक 03.03.2017 की रिपोर्ट अनुसार) तहसीलदार

तिंवरी ने अतिक्रमण मानते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है। तहसीलदार तिंवरी ने मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही नहीं है। अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.03.17 को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 166 रकबा 1.05 बीधा गै.मु. रास्ता पर अपीलान्ट द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भू अभिलेख निरीक्षक जेलू गगाड़ी व हल्का पटवारी संतोड़ा खुर्द की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तिंवरी ने खसरा नम्बर 166 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में कब्जा कर गेहूँ की फसल बोकर रकबा 1.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पर अपीलार्थी का कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया था कि उनका रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट गलत बनायी गई है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 166 सेटलमेन्ट के समय से कटाण के रूप में दर्शाया गया है जबकि उक्त कटाण का रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं रहा है तथा रास्ता अपीलार्थी के खसरा नम्बर 153, 157, 163 व 174 की भूमि में पश्चिम दिशा में अपीलार्थी के खेत में माठ से चिपता हुआ सेटलमेन्ट से ही कटाण का मार्ग चल रहा है जो आज भी जारी है। ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी द्वारा आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व ग्रेवल सड़क बनाई गई थी जो आज दिन तक आवागमन के उपयोग व उपभोग में आ रही है एवं तथाकथित कटाण का मार्ग जो केवल राजस्व रेकर्ड में अंकित है उसमें 50 फीट छोड़कर अपीलार्थी के खेत में से होकर जा रहा है। उक्त रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया है। तहसीलदार तिंवरी द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है। फिर भी प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए हम यह उचित समझते है कि अपीलाधीन आदेश की

क्रियान्विति से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए एवं मौके की वास्तविक रिपोर्ट अनुसार आदेश पारित किया जाना उचित है।

अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए तहसीलदार, तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश की पालना करने से पूर्व अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर व विवादित खसरों का नापजोख किया जाने के पश्चात् गुणावगुण पर पत्रावली निर्णित करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार तिंवरी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर